

तलाकशुदा मुस्लिम महलाओं का भरण-पोषण अधिकार

प्रलिमि्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय (SC), आपराधिक प्रक्रिया संहता, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियिम, 1986, पारिवारिक न्यायालय

मेन्स के लिये:

तलाक पर अधिकारों का संरक्षण, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य, 2024 के मामले में, भारत के सरवोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) ने एक तलाकशुदा मुस्लिमि महिला पर आपराधिक प्रक्रिया संहति। (Criminal Procedure Code- CrPC) की धारा 125 की प्रयोज्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका कसि बारे में थी?

- यह याचिका एक मुस्लिम व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें अंतरिम भुगतान के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया ।
 - ॰ याचिकाकर्त्त्ता ने तर्क दिया कि <u>मुसलिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986</u> को CrPC की धारा 125 के धर्मनिरिपेक्ष कानून पर हावी होना चाहिये।
- याचिकाकर्त्ता ने दावा किया कि 1986 का अधिनियम, एक विशेष कानून होने के कारण, अधिक व्यापक भरण-पोषण प्रावधान प्रदान करता है और इसलिय इसे CrPC की धारा 125 के सामानय प्रावधानों पर विशेषता दी जानी चाहिये।
 - याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि 1986 के अधिनियिम की धारा 3 और 4, एक गैर-अस्थायी खंड के साथ, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को मेहर (विवाह के अवसर पर पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया जाने वाला अनिवार्य उपहार) तथा निर्वाह भत्ते के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है।
 - उन्होंने जोर देकर कहा कि पारविरिक न्यायालयों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि अधिनियिम में इन मुद्दों को निपटाने के लिये मजिस्ट्रेट को अनिवार्य बनाया गया है। याचिकाकर्त्ता ने धारा 5 के अनुसार 1986 के अधिनियिम के बजाय CrPC प्रावधानों को चुनने हेतु हलफनामा प्रस्तुत करने में पत्नी की विफलता पर जोर दिया।
- यह तर्क दिया गया कि 1986 का अधिनियम अपने विशिष्ट प्रावधानों के कारण मुस्लिम महिलाओं के लिये धारा 125 CrPC को निरस्त कर देता है, जिससे उन्हें धारा 125 CrPC के तहत राहत मांगने से रोक दिया जाता है।

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियिम, 1986 क्या है?

- उद्धेश्य: यह अधिनियम उन मुस्लिम महलिाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया था, जिन्हें उनके पतियों ने तलाक दे दिया है या जिन्होंने अपने पतियों से तलाक ले लिया है। यह इन अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिये प्रावधान करता है।

 - ॰ CrPC के तहत भरण-पोषण का अधिकार परसनल लॉ के परावधानों से नकारा नहीं जाता है।
- प्रावधान:
 - ॰ एक **तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से उचित एवं न्यायसंगत भरण-पोषण पाने की हकदार है**, जिसका भुगतान *??????????* ??????? के भीतर किया जाना चाहिये।

- ?!?!?!?!?!? एक अवधि है, जो आमतौर पर तीन महीने की होती है , जिस एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद दोबारा शादी करने से पहले मनाना होता है ।
- ॰ इस अधनियिम में **????? (??????)** का भुगतान और शादी के समय महिला को दी गई संपत्ति की वापसी भी शामिल है।
- ॰ यह तलाकशुदा महिला और उसके पूर्व पति को **CrPC, 1973 की धारा 125 से 128** के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प चुनने की अनमति देता है। यदि वे आवेदन की पहली सनवाई में इस आशय की संयकत या अलग घोषणा करते हैं।

• उत्थान:

- - इसने **मुस्तलिम महिलाओं को इददत अवधि के बाद पुनर्विवाह करने तक भरण-पोषण** प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया।

CrPC की धारा 125 क्या कहती है?

- CrPC की धारा 125 के अनुसार प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति को निम्नलिखित के भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है:
 - ॰ यदि उसकी पत्नी स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
 - ॰ उसका वैध या नाजायज़ नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या न हो, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।
 - ॰ उसका वैध या नाजायज़ वयस्क बच्चा शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं या <mark>चोटों से ग्रस्त हो, जो उसे</mark> अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ बनाती हैं।

Vision

॰ उसका पिता या माता, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।

सर्वोच्च न्यायालय का नरि्णय क्या रहा?

- सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि CrPC की धारा 125 न केवल विवाहित स्त्रियों अपितु सभी स्त्रियों पर लागू होती है। उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रावधान सार्वभौमिक रूप से लागू होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने विधिक समता सुनिश्चित करते हुए और संविधान के समता एवं गैर-भेदभाव की गारंटी का संरक्षण करते हुए विच्छिन्न-विवाह मुस्लिम स्त्रियों द्वारा CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के अधिकारों की पुष्टि की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि मुस्लिम स्त्रियाँ 1986 के अधिनियम के अस्तित्त्व के बावजूद CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।
- न्यायालय ने कहा कि 1986 के अधनियिम की धारा 3, जो एक सर्वोपरि खंड (Non-Obstante Clause) से शुरू होती है, धारा 125 CrPC की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करने के बजाय एक अतिरिकृत उपाय प्रदान करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरुषों के लिये अपनी पत्नियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिनके पास स्वतंत्र आय का अभाव है। इसने आर्थिक रूप से स्वतंत्र या नौकरीपेशा विवाहित महिलाओं और उन महिलाओं के बीच अंतर को उजागर किया, जो अपने निजी खरचों को पुरा करने के लिये किसी भी साधन के बिना घर पर रहती हैं।
- न्यायालय ने पुष्टि की कि विच्छिन्न-विवाह मुस्लिम स्त्रियाँ, जिनमें तीन तलाक (अब विधि-विरुद्ध) के माध्यम से तलाक लेने वाली स्त्रियाँ भी शामिल हैं, पर्सनल लॉ के बावजूद भी धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं।
 - तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है तथामुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियिम,
 2019 दवारा इसे अपराध घोषित किया गया है।

नोट: तत्काल तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत, मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक प्रथा है, जिसमें एकपुरुष अपनी पत्नी को एक बार में तीन बार "तलाक" बोलकर, फोन पर या फिर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से तलाक दे सकता है। यह तलाक तत्काल और अपरिवर्तनीय होता है तथा तलाक के बाद संबद्ध व्यक्ति यदि सुलह करने को भी इच्छुक हो तो नहीं कर सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बीच अंतर्संबंध का परीक्षण कीजिये । विवादों का समाधान करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिये ।

और पढ़ें: मुसलिम महलाओं को भरण-पोषण का अधिकार

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?!?!?!?!?!?!?!?:

प्रश्न. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- विवाह का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक है, जिसके अनुसार "किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।
- लेता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शादी के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक घटक के रूप में देखा।

अतः वकिल्प (b) सही उत्तर है।

[?|?|?|?]:

प्रश्न. रीति-रिवाज़ और परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगतिविरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? (2020)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/maintenance-rights-of-divorced-muslim-women